FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जगतार सिंह आदि **बनाम** गुरमेल सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 151, 152, 153 सीपीसी, मुकदमा नम्बर 92 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/483

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2025	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152, 153 सीपीसी पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रकरण के निर्णय मय डिक्री दिनांक 03.09.2025 में सहवन से राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 80/71 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज 1.301 हैक्टेयर भूमि का वादीगण जगतार सिंह, हरजिन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार व राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम से दर्ज 0.739 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज 0.738 हैक्टेयर भूमि कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह को खातेदार घोषित कर दिया है। जबकि राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 80/71 में प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज 0.268 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 16/13 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.033 हैक्टेयर भूमि, कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि का वादीगण जगतार सिंह, हरजिन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार व राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 में वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम से दर्ज 0.651 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज 0.650 हैक्टेयर भूमि कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाने चाहिए थे। नकल प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अनापत्ति जाहिर की। हमने बहस विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय मय डिक्री दिनांक 03.09.2025 को दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ प्रस्तुत प्रकरण संख्या 262/2023 जगतार सिंह आदि बनाम गुरमेल सिंह आदि वादपत्र अन्तर्गत धारा 48, 49, 88, 91 आरटीए के निर्णय तथा डिक्री का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन-निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी" सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

जगतार सिंह आदि **बनाम** गुरमेल सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 151, 152, 153 सीपीसी, मुकदमा नम्बर 92 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/

प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष लेखन में भूल होने से हुआ है। अतः हम निर्णय मय डिक्री दिनांक 03.09.2025 में राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 80/71 में प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज 0.268 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 16/13 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.033 हैक्टेयर भूमि, कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि का वादीगण जगतार सिंह, हरजिन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार व राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 में वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम से दर्ज 0.651 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज 0.650 हैक्टेयर भूमि कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश पढे जाने के आदेश दिए जाते है। इस निर्णय के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। संशोधित डिक्री जारी हो। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)
सत्यमेव जयते